सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2021 / 356 दर्ज तिथिः— 28.09.2021

1. मिरगोंदेवी पुत्री देराजराम पत्नि उदाराम
2. खेमी पुत्री देराजराम पत्नि जवानाराम
   जाति जाट निवासी आडेल तहसील सिणधरी जिला बाडमेर

.....वादीगण

बनाम

1. मांगाराम पुत्र देराजराम
2. अणदू बेवा हीराराम
3. गोपी पुत्री किशनाराम
4. अमरू पत्नि किशनाराम
5. चुकीदेवी पत्नि मानाराम
6. सोनीदेवी पत्नि मानाराम
7. सोहनलाल भांभू पुत्र धर्माराम भांभू
   जाति जाट निवासी आडेल तहसील सिणधरी जिला बाडमेर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी बाडमेर

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री केशाराम चौधरी
प्रतिवादीः— श्री जोगाराम पोटलिया

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—29.09.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी ने निवेदन किया गया कि वादी व प्रतिवादी का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:17 IST
Reason: SelfAttested

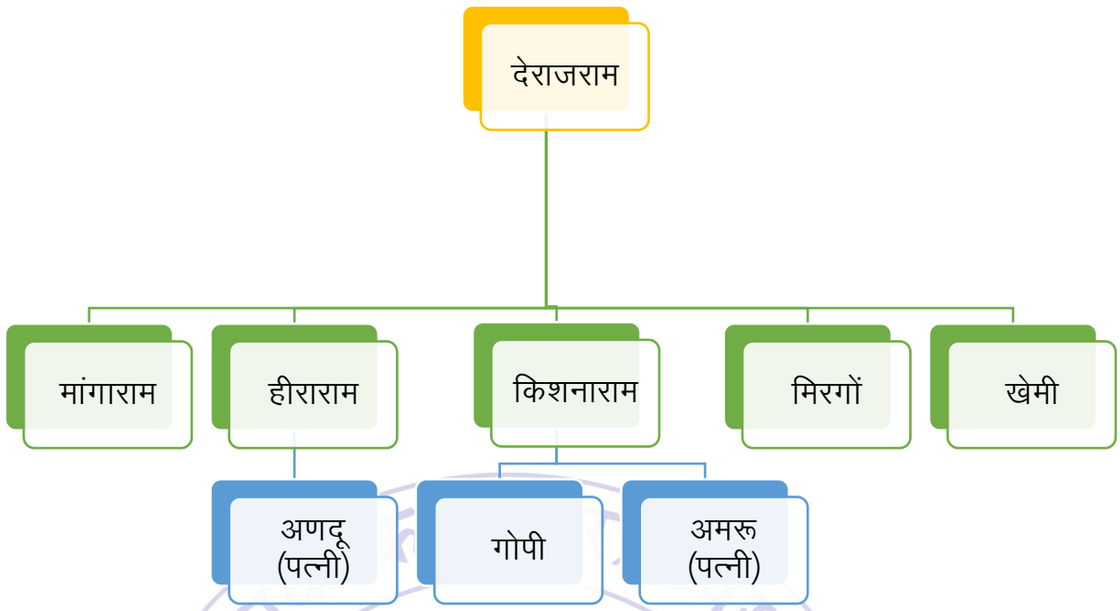

2. प्रकरण में वादी का अभिकथन है कि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 276/2 रकबा 58—08 बीघा (वर्तमान खसरा संख्या 417/276/4.2392 है0, 416/276/4.2391 है0), खसरा संख्या 279/1 रकबा 27—19 बीघा (वर्तमान खसरा संख्या 413/279/1.5047 है0, 414/279/1.5047 है0, 416/276/4.2391 है0, 415/279/1.5129 है0) मौजा सारणों का तला पटवार मण्डल आडेल एवं आराजी खसरा संख्या 261 रकबा 73 बीघा (वर्तमान खसरा संख्या 315/261/0.4692 है0, 356/261/2.3461 है0, 357/261/6.5772 है0, 358/261/0.0727 है0, 359/261/0.1295 है0, 360/261/0.1295 है0, 361/261/0.0728 है0, 362/261/1.8688 है0) मौजा आडेल तहसील नौखड़ा में अवस्थित है।

3. प्रकरण में मुतनाजा आराजी का वक्त बंदोबस्त पर्चा लगान पक्षकारान के पूर्वज देराजराम पुत्र वीरमा के नाम दर्ज हुआ। तत्पश्चात देराजराम पुत्र वीरमा के फौत होने पर फौतगी नामांतरकरण प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 के नाम ही दर्ज किया गया। जबकि वादीगण पूर्व पुरूष देराजराम के विधिक वारिस है तथा अपने पिता देराजराम पुत्र वीरमा की विरासत में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 के तहत प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 के साथ पैतृक आराजी में अधिकार रखने के कारण खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है। वर्तमान में मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 के अकेले के नाम दर्ज है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 ने उक्त आराजी में अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान प्रतिवादी संख्या 05—07 को कर दिया। उक्त बेचान आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी है। अतः उक्त आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित करते हुए बेचान को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित किया जाकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी को वादीगण की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

4. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01, 03, 04 एवं 07 द्वारा उपस्थित होकर ईकबाली जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी है। अतः वादीनीगण का वाद माफिक इश्तदुआ स्वीकार किया जावे।

5. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए—

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 108 सम्वंत 2076—2079	प्रदर्श—01
जमाबंदी	खाता संख्या 81 सम्वंत 2076—2079	प्रदर्श—02
नक्शा	खसरा संख्या 358/261 मौजा आडेल	प्रदर्श—03
नक्शा	खसरा संख्या 413/279 मौजा सरणों का तला	प्रदर्श—04
नक्शा	खसरा संख्या 355/261 मौजा आडेल	प्रदर्श—05
नक्शा	खसरा संख्या 416/276 मौजा सारणों का तला	प्रदर्श—06
जमाबंदी	खाता संख्या 103 सम्वंत 2076—2079	प्रदर्श—07
नक्शा	खसरा संख्या 362/261 मौजा आडेल	प्रदर्श—07
नक्शा	खसरा संख्या 361/261 मौजा आडेल	प्रदर्श—10
जमाबंदी	खाता संख्या 70 सम्वंत 2076—2079	प्रदर्श—11
नक्शा	खसरा संख्या 360/261 मौजा आडेल	प्रदर्श—12
जमाबंदी	खाता संख्या 107 सम्वंत 2076—2079	प्रदर्श—13
जमाबंदी	खाता संख्या 80 सम्वंत 2076—2079	प्रदर्श—14
नक्शा	खसरा संख्या 417/276 मौजा सारणों का तला	प्रदर्श—15
नक्शा	खसरा संख्या 414/279 मौजा सारणों का तला	प्रदर्श—16
नक्शा	खसरा संख्या 356/261 मौजा आडेल	प्रदर्श—17
नक्शा	खसरा संख्या 359/261 मौजा आडेल	प्रदर्श—17
जमाबंदी	खाता संख्या 106 सम्वंत 2076—2079	प्रदर्श—18
जमाबंदी	खाता संख्या 49 सम्वंत 2076—2079	प्रदर्श—19
नक्शा	खसरा संख्या 415/279 मौजा सारणों का तला	प्रदर्श—20
नक्शा	खसरा संख्या 357/261 मौजा आडेल	प्रदर्श—21
—	सहमति विभाजन दिनांक 22.04.2021	प्रदर्श—22
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 29 ग्राम सारणों का तला	प्रदर्श—23
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या ग्राम आडेल	प्रदर्श—24
—	खतौनी बंदोबस्त	प्रदर्श—25

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:17 IST
Reason: SelfAttested

—	खतौनी बंदोबस्त	प्रदर्श—26

6. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
मिरगोंदेवी पत्नी उदाराम	जाट	आडेल	पी0डब्ल्यू0—1
प्रहलादराम पुत्र मोटाराम	जाट	सारणों का तला, आडेल	पी0डब्ल्यू0—2
खेमी पुत्री देराजराम	जाट	आडेल	पी0डब्ल्यू0—03

7. प्रकरण में मिरगोंदेवी पत्नी उदाराम पी.डब्ल्यू.—01, प्रहलादराम पुत्र मोटाराम पी. डब्ल्यू.—02, खेमी पुत्री देराजराम पी.डब्ल्यू.—03 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये—

- कि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 276/2 रकबा 58—08 बीघा (वर्तमान खसरा संख्या 417/276/4.2392 है0, 416/276/4.2391 है0), खसरा संख्या 279/1 रकबा 27—19 बीघा (वर्तमान खसरा संख्या 413/279/1.5047 है0, 414/279/1.5047 है0, 416/276/4.2391 है0, 415/279/1.5129 है0) मौजा सारणों का तला पटवार मण्डल आडेल एवं आराजी खसरा संख्या 261 रकबा 73 बीघा (वर्तमान खसरा संख्या 315/261/0.4692 है0, 356/261/2.3461 है0, 357/261/6.5772 है0, 358/261/0.0727 है0, 359/261/0.1295 है0, 360/261/0.1295 है0, 361/261/0.0728 है0, 362/261/1.8688 है0) मौजा आडेल तहसील नौखड़ा में अवस्थित है। मुतनाजा आराजी का वक्त बंदोबस्त पर्चा लगान पक्षकारान के पूर्वज देराजराम पुत्र वीरमा के नाम दर्ज हुआ। तत्पश्चात देराजराम पुत्र वीरमा के फौत होने पर फौतगी नामांतरकरण प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 के नाम ही दर्ज किया गया। जबकि वादीगण पूर्व पुरूष देराजराम के विधिक वारिस है तथा अपने पिता देराजराम पुत्र वीरमा की विरासत में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 के तहत प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 के साथ पैतृक आराजी में अधिकार रखने के कारण खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है। वर्तमान में मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 के अकेले के नाम दर्ज है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 ने उक्त आराजी में अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान प्रतिवादी संख्या 05—07 को कर दिया। उक्त बेचान आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी है। अतः उक्त आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित करते हुए बेचान को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादीगण की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।
- कि उक्त वाद के समर्थन में पैरा संख्या 04 में उल्लेखित दस्तावेज प्रदर्शित करवाए हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:17 IST
Reason: SelfAttested

8. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपने दावे के तथ्यों को दौहराते हुए दावा डिक्री करने का निवेदन किया। प्रकरण में असल प्रतिवादी संख्या 02, 05 एवं 06 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

9. मैनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब प्रकरण का अनुतोषवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में सर्वप्रथम प्रथम अनुतोष के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम अनुतोष निम्न प्रकार हैः—

> *1. आया वादीनी ग्राम मुतनाजा आराजी में 1/5—1/5 हिस्सा खातेदारी में घोषित करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने की अधिकारिणी हैं ?*

10. प्रथम अनुतोष को साबित करने का भार वादी के उपर है। प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि प्रथम अनुतोष सारतः हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1955 की धारा—06 से संबंधित है। उक्त अनुतोष के अवलोकन से अनुतोष में समाहित अनेक पक्ष व बिंदु सामने आते है। अतः उक्त अनुतोष का निर्णयन किये जाने से पूर्व अनुतोष में समाहित अनेक निम्न पक्ष व बिंदुओं का निर्धारण किया जाना अपेक्षित हैः—
    1. *वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01—04 का हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होना।*
    2. *मुतनाजा आराजी का पैतृक संपति होना।*
    3. *वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01—04 का पैतृक आराजी में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1955 की धारा—06 के तहत सहदायक होना।*
    4. *वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01—04 का पैतृक आराजी में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1955 की धारा—06 के तहत सहदायक होने के आधार पर अधिकार निहित होना।*
    5. *प्रतिवादी संख्या 01—04 का अपने परिवार के कर्ता/मुखिया होना।*
    6. *प्रतिवादी संख्या 01—04 द्वारा बेचान का विधिक आवश्यकताओं के लिए किया गया होना।*

11. प्रकरण में प्रथम अनुतोष के विश्लेषण से पूर्व हिन्दू उतराधिकार से संबंधित संकल्पनाओं व कानून के निम्न बिंदुओं का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित हैः—
    1. *हिन्दू संयुक्त परिवार एवं संपति की संकल्पना/अवधारणा।*
    2. *पैतृक संपति की संकल्पना/अवधारणा।*
    3. *सहदायिकी एवं सहदायिकी संपति की संकल्पना/अवधारणा।*
    4. *सहदायिकी संपति में सहदायक के अधिकार की संकल्पना/अवधारणा।*
    5. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की संकल्पना/अवधारणा।*
    6. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:17 IST
Reason: SelfAttested

7. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की सहदायिकी संपति के अंतरण की संकल्पना/अवधारणा।*
8. *सहदायिकी संपति के अंतरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों की संकल्पना/अवधारणा।*
9. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की सहदायिकी संपति के अंतरण किये जाने पर क्रेता के कर्तव्य की संकल्पना/अवधारणा।*
10. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की सहदायिकी संपति के अंतरण के विरूद्ध सहदायक को उपलब्ध विकल्प/उपचार की संकल्पना/अवधारणा।*

12. प्रकरण में सर्वप्रथम हिन्दू विधि के तहत सर्वप्रथम हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार द्वारा धारित संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति को समझना अपरिहार्य है। हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार द्वारा धारित संपति की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः–

1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में सभी परिवार के सदस्य का एक पुरूष पूर्वज होना आवश्यक है।*
2. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में सभी पुरूष, उनकी पत्नियां, माताएं एवं अविवाहित पुत्री शामिल होती है।*
3. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में शामिल अविवाहित पुत्री का विवाह होते ही वह पति के संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य बनकर शामिल हो जाती है तथा पिता के संयुक्त हिन्दू परिवार से अलग हो जाती है।*
4. *हिन्दू विधि में बिना संयुक्त हिन्दू परिवार की संपति के भी संयुक्त हिन्दू परिवार अस्तित्व में आ सकता है।*
5. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य एक दुसरे से रिश्ते के आधार पर एकता में बंधे रहते है।*
6. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य एक दुसरे से रिश्ते के साथ–साथ भोजन एवं पूजा में भी एकता में बंधे रहते है।*
7. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार विधि द्वारा सृजित ईकाई है। किन्ही सदस्यों के द्वारा आपस में संयुक्त हिन्दू परिवार का सृजन नहीं किया जा सकता है।*
8. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में गोद द्वारा नये सदस्य जोड़े जा सकते है।*
9. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में किसी पुरूष सदस्य के नहीं होने की स्थिति में परिवार के अंत*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:17 IST
Reason: SelfAttested

को रोकने हेतु गोद द्वारा नये सदस्य जोड़कर परिवार को आगे बढाया जा सकता है।

10. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार की संपति पर एक का कब्जा सभी का कब्जा माना जाता है। इस प्रकार हिन्दू संयुक्त परिवार में संपति पर कब्जे के आधार पर एकता रहती है।*
11. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार की संपति में से कोई सदस्य कभी भी विभाजन करवाकर पृथक हो सकता है। इस प्रकार सदस्य के पृथक होने पर वह संपति संयुक्त हिन्दू परिवार की नहीं रहती है।*
12. *एक वृहत हिन्दू संयुक्त परिवार ईकाई में अनेक छोटी—छोटी हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई समाहित हो सकती है। जिनका पृथक अस्तित्व नहीं होता है परंतु छोटी—छोटी हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई अपना प्रबंधन पृथक करती हैं।*

13. प्रकरण में हिन्दू विधि के तहत हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति के पश्चात हस्तगत प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01—04 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में वादीगण द्वारा सजरा प्रस्तुत करते हुए अभिकथन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01—04 के हिन्दू होने के कारण सभी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 से शासित होते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01—04 के पूर्वज देराजराम के वारिस है। देराजराम के तीन पुत्र क्रमशः मांगाराम पुत्र देराजराम, हीराराम पुत्र देराजराम व किशनाराम पुत्र देराजराम तथा दो पुत्रीया मिरगो व खेमी है। हीराराम पुत्र देराजराम की फोत के बाद अणदू पत्नी हीराराम एक पृथक पारिवारिक इकाई का निर्माण करते है। इसी प्रकार किशनाराम पुत्र देराजराम की मृत्यु के बाद गोपी पुत्र किशनाराम व अमरू पत्नी किशनाराम एक पृथक पारिवारिक इकाई का निर्माण करते है। इसी प्रकार मांगाराम पुत्र देराजराम भी परिवार की इकाई का निर्माण करते है। प्रकरण में अन्य प्रतिवादी द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01—04 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में कोई विशेष व स्पष्ट खंडन नहीं किया है।

14. इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01—04 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में वादी द्वारा सजरा प्रस्तुत किये जाने व साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट खंडन नहीं करने तथा गवाहों के प्रतिपरीक्षण में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01—04 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में कोई विरोधस्वरूप अभिकथन स्पष्ट नहीं होने के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01—04 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य माना जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:17 IST
Reason: SelfAttested

15. अब प्रकरण में सहदायिकी संपति को समझने के लिए सर्वप्रथम पैतृक संपति की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। अतः प्रकरण में हिन्दू उतराधिकार के तहत पैतृक आराजी की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति को समझना अपरिहार्य है। हिन्दू विधि के तहत पैतृक संपति की वृहत संकल्पना को समझने के पश्चात हिन्दू विधि के पैतृक संपति के निम्न आवश्यक अवयव हैः–

1. *किसी हिन्दू को अपने तृतीय पीढी के पूर्वज पुरूष पिता के पिता के पिता (परदादा) की संपति, अपने पिता व पिता के पिता (दादा) की मृत्यु पिता के पिता के पिता (परदादा) की मृत्यु से पहले होने की स्थिति में, विरासत में सीधे प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त प्रथम परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है।*
2. *किसी हिन्दू को अपने द्वितीय पीढी के पूर्वज पुरूष पिता के पिता (दादा) की संपति, अपने पिता की मृत्यु पिता के पिता (दादा) की मृत्यु से पहले होने की स्थिति में, विरासत में सीधे प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त द्वितीय परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है।*
3. *किसी हिन्दू को अपने प्रथम पीढी के पूर्वज पुरूष पिता की संपति विरासत में प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त तृतीय परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है। इस स्थिति में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के लागू होने के पश्चात धारा–8 के तहत विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपति नहीं मानकर प्राप्तकर्ता हिन्दू की पृथक संपति माना जाता है। अगर इस स्थिति में विरासत हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के लागू होने से पूर्व खुलती हैं उस स्थिति में ही विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपति माना जाता है।*
4. *किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति को उस हिन्दू द्वारा अपने पुत्र, अपने पुत्र के पुत्र (पौत्र), अपने पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) होने की स्थिति में आवश्यक रूप से धारण करना अनिवार्य है।*
5. *किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति में उस हिन्दू का पुत्र, पुत्र के पुत्र (पौत्र), पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) जन्म से ही अधिकार निहित रखता है।*
6. *हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम–2005 द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–06 में किये गये संशोधन के पश्चात पुत्रियों को भी पुत्रों के समान सहदायक माना गया है। इस आधार पर*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:17 IST
Reason: SelfAttested

किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति में उस हिन्दू की पुत्री भी जन्म से ही अधिकार निहित रखती है।

16. हिन्दु विधि में सहदायिकी संपति में पैतृक आराजी, हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की स्वअर्जित संपति, हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की पृथक संपति एवं पैतृक संपति से उत्पन्न आय से हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य द्वारा क्रय की गई संपति शामिल होती है। सहदायिकी संपति की वृहत संकल्पना के निम्न अवयव होते हैः—

    1. *सहदायिकी या हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी अनिवार्य रूप से सहदायक संपति में निहित रहती है।*
    2. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की स्वअर्जित संपति उस सदस्य विशेष द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार या सहदायिकी संपति के बंडल में स्वेच्छा से समर्पित किये जाने पर सदस्य विशेष की स्वअर्जित संपति सहदायक संपति में समाहित हो जाती है।*
    3. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य को अन्य स्रोत यथा—वसीयत, दान व पैतृक आराजी के अतिरिक्त विरासत से प्राप्त संपति उस सदस्य विशेष द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार या सहदायिकी संपति के बंडल में स्वेच्छा से समर्पित किये जाने पर सदस्य विशेष की पृथक संपति सहदायक संपति में समाहित हो जाती है।*
    4. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति से उत्पन्न आय से खरीद की गई संपति आवश्यक रूप से सहदायिकी संपति में समाहित होती है।*
    5. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति को नुकसान पहुचाते हुए किसी सदस्य द्वारा खरीद की गई संपति अनिवार्य रूप से सहदायिकी संपति में समाहित होती है।*

17. प्रकरण में हिन्दू विधि के तहत हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति के पश्चात हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजी के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01—04 की पैतृक संपति होने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

18. साथ ही विवादित आराजी के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01—04 की संपति प्राप्तकर्ता देराजराम के वारिसान वादीगण है। इस प्रकार उक्त संपति के प्राप्तकर्ता द्वारा उक्त संपति के प्रथम पीढी के पुरूष पुर्वज से विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त संपति को वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01—04 द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति के रूप में धारित किया जा रहा हैं। इस प्रकार उक्त संपति के प्राप्तकर्ता

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:17 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा उक्त संपति प्रतिवादी संख्या 01—04 के प्रथम पीढी के पुरूष पुर्वज से विरासत में प्राप्त होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01—04 की पैतृक संपति मानना विधिसंगत है।

19. प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01—04 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य मानने के पश्चात विवादित आराजी के सहदायिकी संपति होने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इससे पहले प्रकरण में हिन्दू विधि के तहत सर्वप्रथम सहदायक एवं सहदायिकी संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति को समझना अपरिहार्य है। सहदायक एवं सहदायिकी संपति की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक इस प्रकार हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार द्वारा धारित संपति की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *हिन्दू विधि में सहदायिकी में सभी सदस्यों का एक पुरूष पूर्वज होना आवश्यक है।*
2. *हिन्दू विधि में सहदायिकी में पुरूष पुर्वज के तीन पीढीयों के वंशज सभी पुरूष शामिल होते है।*
3. *हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम—2005 द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—06 में किये गये संशोधन के पश्चात पुत्रियों को भी पुत्रों के समान सहदायक माना गया है।*
4. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में पुरूष पुर्वज के तीन पीढीयों के वंशज सभी पुरूषों का जन्म से ही अधिकार निहित हो जाता है।*
5. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में उस हिन्दू का पुत्र, पुत्र का पुत्र (पौत्र), पुत्र के पुत्र का पुत्र (प्रपौत्र) जन्म से ही अधिकार निहित रखता है।*
6. *हिन्दू विधि में सहदायिकी में कोई सहदायक बिना विभाजन करवाये अपने हिस्से का अंतरण नहीं कर सकता है।*
7. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में प्रत्येक सहदायक का विभाजन तक अन्य सहदायकों के साथ समस्त सहदायिकी संपति के प्रत्येक भाग पर समान स्वामित्व माना जाता है।*
8. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में प्रत्येक सहदायक का विभाजन तक अन्य सहदायकों के साथ समस्त सहदायिकी संपति के प्रत्येक भाग पर समान कब्जा माना जाता है।*
9. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में कोई सहदायक बिना अन्य सहदायकों की सहमति के बिना कोई विधिक आवश्यकता के अपने हिस्से का अंतरण नहीं कर सकता है।*
10. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में सहदायक की मृत्यु पर सभी सहदायकों का हिस्सा बढ जाता है। इसी प्रकार सहदायिकी संपति में सहदायक के जन्म पर सभी*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:17 IST
Reason: SelfAttested

सहदायकों का हिस्सा घट जाता है। इस प्रकार सहदायिकी संपति में किसी भी सहदायक का हिस्सा निश्चित नहीं होकर सहदायिकी में सदस्यों के जुड़ने व हटने पर परिवर्तित होता रहता है।

11. *हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में किसी एक सहदायक द्वारा अपना अधिकार/हक त्यागने पर बाकी अन्य सहदायकों के पक्ष में समान अधिकार सृजन माना जाता है।*
12. *हिन्दू विधि में सहदायिकी विधि द्वारा सृजित ईकाई है। किन्ही सदस्यों के द्वारा आपस में सहदायिकी का सृजन नहीं किया जा सकता है।*
13. *हिन्दू विधि में सहदायिकी में गोद द्वारा नये सदस्य जोड़े जा सकते है।*
14. *हिन्दू विधि में सहदायिकी में किसी पुरूष सदस्य के नहीं होने की स्थिति में सहदायिकी के अंत को रोकने हेतु गोद द्वारा नये सदस्य जोड़कर सहदायिकी को आगे बढाया जा सकता है।*

20. अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01—04 के एक ही हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01—04 उक्त सहदायिकी में सहदायक होना स्पष्ट है।

21. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार तथा सहदायिकी की इकाई तथा संबंधित ईकाई द्वारा धारित हिन्दू संयुक्त परिवार संपति व सहदायिकी संपति की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू विधि के तहत हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्त्ता की कानून की स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की गई हैः—

1. *अगर पिता जीवित है तो पिता हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता माना जाता है।*
2. *अगर पिता जीवित नहीं है तो परिवार का वरिष्ठ सदस्य हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता माना जाता है।*
3. *एक वृहत हिन्दू संयुक्त परिवार ईकाई में अनेक छोटी—छोटी हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई समाहित हो सकती है। इन लघुतर हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई के पृथक—पृथक कर्ता हो सकते है।*
4. *हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता पर अन्य सदस्यों से विशिष्ट स्थिति रखता है। हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता को संयुक्त परिवार के सदस्यों से सलाह*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:17 IST
Reason: SelfAttested

मशविरा कर संयुक्त परिवार के प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है।

22. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका को समझने के पश्चात की हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता के प्राधिकार एवं संपति के अंतरण की शक्तियों की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों के अतिरिक्त हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति का अंतरण नहीं कर सकता है।*
2. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत अंतरण कर सकता हैः—*
   - *आपातकालेः— विधिक आवश्यकतार्थ।*
   - *कुटुम्बार्थेः— परिवार के हितार्थ।*
   - *धर्मार्थेः— पवित्र उद्देश्य हेतु।*
3. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत किये गए अंतरण से सभी सहदायक बाध्य होते है।*

23. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका को समझने के पश्चात की हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता के नाबालिक सहदायक के संबंध में प्राधिकार एवं संपति के अंतरण की शक्तियों की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति का अंतरण कर सकता है।*
2. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति के किये गए अंतरण से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए बाध्य होते है।*
3. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता की अनुपस्थिति में संयुक्त हिन्दू परिवार के मुखिया/संरक्षक द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:17 IST
Reason: SelfAttested

अंतर्गत हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति के किये गए अंतरण से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए बाध्य होते है।

24. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति में कर्ता के अधिकार की अवधारणा से प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में मांगाराम पुत्र देराजराम की पारिवारिक इकाई का मुखिया मांगाराम पुत्र देराजराम प्रतीत होता है। इसी प्रकार किशनाराम पुत्र देराजराम की पारिवारिक इकाई का मुखिया किशनाराम पुत्र देराजराम प्रतीत होता है। इसी प्रकार हीराराम पुत्र देराजराम की पारिवारिक इकाई का मुखिया हीराराम पुत्र देराजराम प्रतीत होता है। इस संबंध में वादीगण अपने पारिवारिक इकाई के कर्ता नहीं होने के संबंध में कोई खंडन नहीं करते हुए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए है। इस आधार पर मांगाराम पुत्र देराजराम, हीराराम पुत्र देराजराम व किशनाराम पुत्र देराजराम के अपने लघुतर पारिवारिक ईकाई के कर्ता माना जाना उचित प्रतीत होता है।

25. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका, प्राधिकार एवं संपति के अंतरण की शक्तियों की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत अंतरण कर सकता हैः—*
    - *आपातकालेः— विधिक आवश्यकतार्थ।*
    - *कुटुम्बार्थेः— परिवार के हितार्थ।*
    - *धर्मार्थेः— पवित्र उद्देश्य हेतु।*

26. प्रकरण में सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के विधिक आवश्यकता के तहत परिवार के लाभ हेतु संपति का बेचान द्वारा के अंतरण की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु उत्पन्न विधिक आवश्यकता की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों यथा आपातकालेः—विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण कर सकता है।*
2. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:17 IST
Reason: SelfAttested

3. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता का आचरण विवेकपूर्ण पुरूष के समान होना आवश्यक है।*
4. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु अंतरण एवं संपति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का युक्तियुक्त होना आवश्यक है।*

27. प्रकरण सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु उत्पन्न विधिक आवश्यकता की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण के संबंध में खरीददार के उपर अंतरण की विधिक आवश्यकता को साबित करने की विधिक दायित्व के बारे में समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार के तहत सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण के संबंध में खरीददार के उपर अंतरण की विधिक आवश्यकता को साबित करने की विधिक दायित्व की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है।*
2. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की उत्पन्न परिस्थितियां के बारे में क्रेता को अंतरण से पूर्व वास्तविक रूप से जानकारी करने का विधिक दायित्व होता है।*
3. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने को साबित करने का विधिक भार/दायित्व क्रेता के उपर होता है।*
4. *सहदायिकी संपति को पूर्ववर्ती ऋण हेतु विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने पर सहदायिकी संपति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का अंतरणकर्ता द्वारा उपयोग के बारे में जानकारी करने का विधिक दायित्व क्रेता का होता है।*
5. *सहदायिकी संपति को परिवार या सहदायिकी संपति के लाभ या निवेश हेतु विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने पर सहदायिकी संपति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का अंतरणकर्ता द्वारा उपयोग के बारे में जानकारी करने का विधिक दायित्व क्रेता का होता है।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:17 IST
Reason: SelfAttested

28. इस संबंध में हिन्दू विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है। हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों यथा *आपातकालेः—विधिक आवश्यकतार्थ* अंतरण कर सकता है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के सहदायिकी संपति के प्रबंधन/अंतरण के पश्चात ही कर्ता द्वारा अंतरण के विरूद्ध अन्य सहदायक को कर्ता द्वारा अंतरण को विधिक आवश्यकता नहीं होने के आधार पर अंतरण किए जाने के आधार पर ही कर्ता द्वारा किए गए अंतरण को निष्फल करवाने का विकल्प/उपचार उपलब्ध है।

29. प्रकरण मे वादीगण निर्विवादित रूप से देराजराम की पुत्रियां है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—40 के तहत किसी खातेदार की मृत्यु होने पर उस खातेदार की विरासत उस खातेदार के उपर अनुप्रयोज्य धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार दर्ज किए जाने के प्रावधान है। चूंकि देराजराम अपनी मृत्यु के समय हिंदु विधि से शासित होता था इसलिए देराजराम की विरासत हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—06 के अनुसार दर्ज किया जाना न्यायसंगत है। साथ ही हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—06 के अनुसार हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 के तहत सर्वप्रथम प्रथम श्रेणी के वारिसो पर निर्वसीयती मृतक हिंदु की विरासत दर्ज किए जाने के प्रावधान है। प्रकरण में वादीगण निर्वसीयती मृतक हिंदु देराजराम के प्रथम श्रेणी के वारिस है। इस प्रकार निर्वसीयती मृतक हिंदु देराजराम की सम्पति में वादीगण का प्रत्येक का 1/5—1/5 हिस्सा निहित है। इस प्रकार वादीगण निर्वसीयती मृतक हिंदु देराजराम की सम्पति में वादीगण का प्रत्येक का 1/5—1/5 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है। इस प्रकार प्रथम अनुतोष को वादीगण साबित करने मे सफल रहे है।

30. इस संबंध में अब द्वितीय अनुतोष के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम अनुतोष निम्न प्रकार हैः—

> *1. आया वादी प्रतिवादी संख्या 01—04 द्वारा अपने हिस्से से अधिक आराजी का प्रतिवादी संख्या 05—07 को किए गए बेचान को आरम्भ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने की अधिकारी हैं ?*

31. इस अनुतोष को साबित करने का भार वादी के उपर है। प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि हिन्दू विधि की उक्त स्पष्ट स्थिति के आलोक में प्रकरण में उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01—04 द्वारा अपनी सम्पति का अंतरण प्रतिवादी संख्या 05—07 को किया गया है। उक्त अंतरण के पश्चात प्रतिवादी संख्या 05—07 के नाम खातेदारी इंद्राज दर्ज होकर प्रतिवादी संख्या 01—04 के साथ सहखातेदार दर्ज हो गये है। तत् पश्चात प्रतिवादी संख्या 01—07 द्वारा आपसी सहमति से उक्त मुतनाजा आराजी के विभाजन का प्रस्ताव तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त सहमति से विभाजन की

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व कार्मिको के द्वारा जांच के पश्चात तहसीलदार सिणधरी के दिनांक 12.04.2021 की पालना मे नामान्तरण संख्या 222 व 823 दिनांक 22.07.2021 के द्वारा उक्त आराजी का विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अलग—अलग खाता कायम किये गये। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01—07 द्वारा उक्त खातेदारी आराजी का विभाजन कर लिया गया। इस कारण प्रतिवादी संख्या 01—04 द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता की हैसियत से प्रतिवादी संख्या 05—07 को पंजीकृत बयनामा द्वारा मुतनाजा आराजी का परिवार की विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण को वादीगण पर बाध्यकारी है। इस प्रकार अनुतोष संख्या 01 को वादीगण साबित करने में असफल रहे है। इस प्रकार अनुतोष संख्या 01 वादीगण के विरूद्ध स्वीकार किया जाता है।

32. इस संबंध में तृतीय अनुतोष के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तृतीय अनुतोष निम्न प्रकार हैः—

> *3. वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है।*

33. प्रकरण मे तृतीय अनुतोष को साबित करने का भार वादी के उपर है। प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। परंतु राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी होने से वादी के किसी निश्चित भू—भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में कथन किया जाना कानूनन अनुचित है। इस कारण मुतनाजा आराजी पर वादीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी होने के कारण वादी के किसी निश्चित भू—भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में संशय होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन वादी के पक्ष में होना स्पष्ट नहीं है। अंत में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति साबित करने से पूर्व संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाया जाना अपरिहार्य शर्त है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाये बिना स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस संबंध में इस कारण अनुतोष संख्या 03 वादीगण के विपरीत साबित होने के कारण परिणामस्वरूप अनुतोष संख्या 03 वादीगण के विरूद्ध स्वीकार किया जाता है।

34. निष्कर्षतः पंजीकृत बयनामा के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01—04 द्वारा प्रतिवादी संख्या 05—07 को अपने परिवार की विधिक आवश्यकताओं के लिए सहदायिकी संपति का अंतरण किये जाने को उचित एवं विधिसंगत मानना न्यायालय उचित समझता है। इस आधार पर वादीगण का पंजीकृत बयनामा के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01—04 द्वारा प्रतिवादी संख्या 05—07 को अपने परिवार की विधिक आवश्यकताओं के लिए अंतरित संपति के अंतरण से वादीगण को बाध्य होना न्यायालय उचित समझता है। इस आधार पर वादीगण का पंजीकृत बयनामा के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01—04 द्वारा प्रतिवादी संख्या 05—07 को अपने परिवार की विधिक आवश्यकताओं के लिए अंतरित संपति में वादीगण का कोई हक न्यायालय नहीं पाता है। इस प्रकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:17 IST
Reason: SelfAttested

पंजीकृत बयनामा के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01—04 द्वारा प्रतिवादी संख्या 05—07 को अपने परिवार की विधिक आवश्यकताओं के लिए अंतरित संपति में वादीगण का कोई हक नही होने के कारण प्रतिवादी संख्या 05—07 की मुतनाजा आराजी मे सम्पति मे कोई अधिकार घोषित नही होने के कारण मुतनाजा आराजी मे प्रतिवादी संख्या 05—07 की सम्पति के अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 01—04 की सम्पति मे वादीगण प्रत्येक को 1/5—1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादीगण का पंजीकृत बयनामा के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01—04 द्वारा प्रतिवादी संख्या 05—07 को अपने परिवार की विधिक आवश्यकताओं के लिए अंतरित संपति में कोई हक नही होने के कारण प्रतिवादी संख्या 05—07 की मुतनाजा आराजी मे सम्पति मे कोई अधिकार घोषित नही होने के कारण मुतनाजा आराजी मे प्रतिवादी संख्या 05—07 की सम्पति के अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 01—04 की सम्पति मे वादीगण प्रत्येक को 1/5—1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 29.09.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:17 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2021 / 356 दर्ज तिथिः— 28.09.2021

1. मिरगोंदेवी पुत्री देराजराम पत्नि उदाराम
2. खेमी पुत्री देराजराम पत्नि जवानाराम
   जाति जाट निवासी आडेल तहसील सिणधरी जिला बाडमेर

.....वादीगण

बनाम

1. मांगाराम पुत्र देराजराम
2. अणदू बेवा हीराराम
3. गोपी पुत्री किशनाराम
4. अमरू पत्नि किशनाराम
5. चुकीदेवी पत्नि मानाराम
6. सोनीदेवी पत्नि मानाराम
7. सोहनलाल भांभू पुत्र धर्माराम भांभू
   जाति जाट निवासी आडेल तहसील सिणधरी जिला बाडमेर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी बाडमेर

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री केशाराम चौधरी
प्रतिवादीः— श्री जोगाराम पोटलिया

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादीगण का पंजीकृत बयनामा के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01—04 द्वारा प्रतिवादी संख्या 05—07 को अपने परिवार की विधिक आवश्यकताओं के लिए अंतरित संपति में कोई हक नही होने के कारण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 05—07 की मुतनाजा आराजी मे सम्पति मे कोई अधिकार घोषित नही होने के कारण मुतनाजा आराजी मे प्रतिवादी संख्या 05—07 की सम्पति के अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 01—04 की सम्पति मे वादीगण प्रत्येक को 1/5—1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार नोखड़ा को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.18 12:27:17 IST
Reason: SelfAttested